न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्या :– 33/2012
प्रविष्टि दिनांकः– 22.11.2012

सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा ....प्रार्थी
बनाम
अहमद अली पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी मालपुरा .... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम 1970

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

उपस्थित :(1) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
(2) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 19.05.2017

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि विपक्षी अहमद अली पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी मालपुरा को ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा के खसरा नंबर 1936 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 06.06.1965 को आवण्टित की गई थी। आवण्टी (अप्रार्थी) द्वारा उक्त भूमि को काश्त नहीं करने के कारण तहसीलदार मालपुरा ने उक्त आवण्टन को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र मय आवण्टन पत्रावली न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) ने सबूत दस्तावेजों में नकल जमाबन्दी खाता सख्या 1183 सम्वत 2066–69 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2066–69 एवं रिपोर्ट पटवारी एवं नक्शा ट्रेस, नामांतकरण सं0 964 एवं नामांतकरण सं0 1653 की प्रति मय आवण्टन पत्रावली प्रस्तुत की है।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिए नोटिस तलबी की गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

4. राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी अहमद अली पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी मालपुरा को ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा के खसरा नंबर 1936 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 06.06.1965 को भूमि आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा आवण्टन की गई थी। आवण्टी (अप्रार्थी) द्वारा सम्वत 2066–2069 में केवल 2067 में काश्त करने के अलावा आदिनांक काश्त नहीं की है जो पत्रावली पर प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरियों सम्वत 2066–69 एवं पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है। आवण्टी (अप्रार्थी) द्वारा आवण्टित भूमि पर निरन्तर काश्त न कर आवण्टन शर्तो का उल्लघंन किया है। अतः विवादित भूमि का अप्रार्थी को किया गया आवण्टन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिपक्षी के हक में किये गये आवण्टन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि फ्राड/मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं है, प्रतिपक्षी लगातार भूमि पर काबिज है और काश्त करता

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

चला आ रहा है, भूमि बारानी होने से एवं बरसात की कमी होने के कारण किसी वर्ष में काश्त नहीं होने के आधार पर आवण्टन निरस्त नहीं किया जा सकता, उक्त भूमि पर काश्त करने के लिए बरसात के पानी पर निर्भर रहना पडता है, पूर्व में भूमि आवण्टन नियम 14(4) के तहत आवंटी को आवण्टन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में शेष भाग को काश्त करने के नियम को वर्ष 1999 में संशोधित कर समाप्त कर दिया गया है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2066 अनुसार ख0नं0 1936/1 रकबा 1.10 बीघा अप्रार्थी के नाम अंकित है जबकि कब्जा सुपुर्दगीनामें के आधार पर ख0नं0 1936/2 का दिया गया है साथ ही ख0नं0 1936/1 का सुपुर्दगीनामें के आधार पर अन्य व्यक्ति अबदुल्ला को कब्जा दे दिया गया है। रिपोर्ट पटवारी गलत है एवं गिरदावरी भी सही नहीं बनाई गई है। अप्रार्थी द्वारा गिरदावरी सम्वत 2066–69 अनुसार बाजरा व तिल की काश्त होने का अंकन है। आवण्टन लगभग 49 वर्ष पुराना है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवण्टन यथावत रखा जावे। अपने कथन की पुष्टि में अभिभाषक अप्रार्थी ने रूलिंग 2008(1) आरआरटी 610 उद्वरित की है।

6. हमनें राजकीय पेरोकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस को सुना, उस पर मनन किया तथा आवण्टन पत्रावली एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानर्पूवक अवलोकन किया। अप्रार्थी अहमद अली पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी मालपुरा को ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा के खसरा नंबर 1936 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 06.06.1965 को भूमि आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा आवण्टित की गई थी। जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड में आवण्टी के नाम गैर खातेदारी में हो चुका है जो जमाबन्दी खाता संख्या 1183 सम्वत 2066–69 से स्पष्ट है। प्रार्थना पत्र में संलग्न रिपोर्ट पटवारी अनुसार आवण्टित भूमि पर मौके पर आवण्टी का कब्जा नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज अवश्य है परन्तु तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदारी सम्वत 2066–69 अनुसार उक्त भूमि पडत है। जिसमें केवल सम्वत 2067 में ही काश्त की गई है। नामांतकरण सं0 964 से अप्रार्थी को गैर खातेदारी भी दे दी गई थी परन्तु आवण्टन शर्तो की पालना अप्रार्थी द्वारा नहीं किये जाने इसे नामांतकरण सं0 1653 से तहसीलदार मालपुरा द्वारा दिनांक 6.11.178 को खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2066–69 के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत 2067 एवं 2069 में बाजरा व तिल की काश्त का अंकन है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2066 अनुसार ख0नं0 1936/1 रकबा 1.10 बीघा अप्रार्थी के नाम अंकित है जबकि कब्जा सुपुर्दगीनामें के आधार पर उसे ख0नं0 1936/2 का दिया गया है साथ ही ख0नं0 1936/1 का सुपुर्दगीनामें के आधार पर अन्य व्यक्ति अबदुल्ला को कब्जा दे दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना में अप्रार्थी को भूमि आवण्टन की तिथी 1.06.69 अंकित की है जबकि आवण्टन 6.06.65 का है। प्रस्तुत रूलिंग अनुसार पूर्व में भूमि आवण्टन नियम 14(4) के तहत आवंटी को आवण्टन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में शेष भाग को काश्त करने के नियम को वर्ष 1999 में संशोधित कर समाप्त कर दिया गया है। अतः उक्त विवेचन की रोशनी में तहसीलदार मालपुरा का प्रार्थना पत्र 14 (4) समर्थन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) अस्वीकार कर अप्रार्थी को विवादित भूमि का किया गया आवण्टन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी अहमद अली पुत्र अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी मालपुरा को ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा के खसरा नंबर 1936 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 06.06.1965 का किया गया आवण्टन यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक राज0।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक